विट्ठल वी. गैटोंड

बनाम

भारत संघ और अन्य

16 दिसंबर, 2003

[न्यायाधिपति एस. राजेंद्र बाबू और न्यायाधिपति रूमा पाल]

सेवा कानूनः गोवा, दमन और दीव [डाक और टेलीग्राफ कानूनों का निरसन] विनियमन, 1962-नियुक्ति-सेवानिवृत्ति की आयु-पुर्तगाली शासन से गोवा की मुक्ति और भारत में विलय-गोवा डाक और टेलीग्राफ सेवाओं में दावेदार की बाद में नियुक्ति- नियुक्ति का दावा करें पुर्तगाली नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होनी चाहिए-न्यायाधिकरण ने दावे को खारिज करते हुए-अपील पर अभिनिर्धारित कियाः 1962 के विनियमन के तहत नियुक्त होने वाला दावेदार, एक निश्चित वेतनमान पर अस्थायी आधार पर और एक अवशोषित कर्मचारी नहीं होने के कारण, पुर्तगाली नियमों-गोवा, दमन और दीव प्रशासनिक अधिनियम, 1962-की धाराओं 4 और 5 के तहत 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के लाभ का दावा नहीं कर सकता है।

गोवा को 19.12.1961 पर पुर्तगाली शासन से मुक्त किया गया था और इसे भारत के क्षेत्र में जोड़ा गया। मुक्ति के बाद नियुक्त सरकारी सेवकों को भारत सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न नियमों और विनियमों द्वारा शासित किया जा रहा था - जो केंद्र सरकार के सेवकों की सेवा शर्तों को विनियमित करते थे। 11.6.1962 को अपीलकर्ता को गोवा, दमन और दीव (डाक और टेलीग्राफ कानूनों का निरसन) विनियमन, 1962 के तहत गोवा पोस्ट और टेलीग्राफ सेवाओं में एक अस्थायी ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था।

इसके बाद, उन्होंने 31.1.94 को सेवानिवृत्ति प्राप्त की और 31.1.1994 से सेवानिवृत्त होने वाले थे। अपीलकर्ता ने इस आधार पर आदेश को चुनौती दी कि चूंकि उन्हें पुर्तगाली कानून के अनुसार नियुक्त किया गया था, इसलिए उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। ट्रिब्यूनल ने माना कि अपीलकर्ता एक अवशोषित कर्मचारी नहीं था और चूंकि अपीलकर्ता को पुर्तगाली कानून के तहत नियुक्त नहीं किया गया था, इसलिए वह सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होने का दावा नहीं कर सकता। पीड़ित अपीलकर्ता ने समीक्षा याचिका दायर की जिसे भी खारिज कर दिया गया। इसलिए वर्तमान अपील की गई ।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया-

1.1. अपीलकर्ता को 11.6.1962 को गोवा, दमन और दीव [डाक और टेलीग्राफ कानून का निरसन] विनियमन, 1962 के तहत डाक और तार विभाग में नियुक्त किया गया था, जो 1.9.1962 को लागू हुआ और विभिन्न डिक्री को निरस्त करते हुए अधिकारों को बचाया गया। ऐसे कानून के तहत अर्जित, उपार्जित या उपगत विशेषाधिकार, दायित्व और देनदारियां। गोवा की मुक्ति की तारीख, यानी 19.12.1961 और 1.9.1962 के बीच गोवा, दमन और दीव की सैन्य सरकार ने सीटीटी के निदेशक को दैनिक वेतन, अनंतिम नियुक्तियों, विस्तार और पुष्टिकरण पर नियुक्तियां करने का अधिकार देने वाले कुछ आदेश पारित किए थे। उन्हें उन कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए शक्तियां प्रदान की गई थीं, जिनकी नियुक्ति पूर्ववर्ती विदेश मंत्री में निहित थी। यह इस आदेश के संदर्भ में है कि अपीलार्थी की नियुक्ति निम्नलिखित के अनुसरण में की गई थी -गोवा, दमन और दीव की सैन्य सरकार द्वारा एक निश्चित वेतनमान पर अस्थायी आधार पर दिया गया आदेश और वह लाभ का दावा नहीं कर सकता है। प्रासंगिक नियम जो नए नियमों के लागू होने से पहले लागू थे। { 955 - डी-एफ; 956-ए-बी; 957-सी]

गोवा राज्य बनाम यवेट पेरेरा, [1998] 9 एस. सी. सी. 112, का उल्लेख किया गया है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2636/1999

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण बॉम्बे के दिनांक 24.3.95 के निर्णय और आदेश से आर. पी. 31.95/में ओ ए संख्या 407/94

आर. के. माहेश्वरी, डॉ. कंवल सप्रा और ऋषि माहेश्वरी अपीलार्थी की ओर से।

पी. पी. मल्होत्रा, राजीव नंदा और पी. परमेस्वरन प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

न्यायाधिपति राजेन्द्र बाबू

हमारे सामने अपीलकर्ता का दावा है कि उसे 11.6.1962 को गोवा सरकार में एक ऑपरेटर [अस्थायी] के रूप में नियुक्त किया गया था। उक्त देश 19.12.1961 को आज़ाद हुआ और भारत के क्षेत्र में मिला लिया गया। अपीलकर्ता ने दिनांक 6.10.1993 / 6.1.1994 के एक आदेश को चुनौती दी जिसके द्वारा उसे सूचित किया गया था कि वह 31.1.1994 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेगा। वह 31. 1.1994 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्क यह है कि वह था विदेशी कार्यकारियों के संविधि के अनुच्छेद 26ए के साथ पठित अनुच्छेद 63 के संदर्भ में नियुक्त किया गया और इसलिए, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु पर एस्टेट डू

फंक्शनलिस्मो अल्ट्रामेरिनो के खंड 430 [अध्याय VII] के अनुसार विचार किया जाना चाहिए, जिसने 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु निर्धारित की हैः अपीलार्थी दावा करता है कि उसे पुर्तगाली कानून के अनुसार नियुक्त किया गया है, उसे केवल 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जानी चाहिए और प्रत्यर्थियों के समक्ष किया गया उसका प्रतिनिधित्व एक से अधिक अवसरों पर खारिज कर दिया गया है, उसने न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया।

न्यायाधिकरण अपीलार्थी से सहमत नहीं था कि वह प्रवासी कार्यकारियों के पुर्तगाली संविधि द्वारा शासित है और वह केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार शासित है। प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता एक अवशोषित कर्मचारी नहीं है और इसलिए 60 वर्ष की आयु में उसे सेवानिवृत्त करने का उनका अनुरोध उत्पन्न नहीं होगा।

न्यायाधिकरण ने पाया कि अपीलार्थी ने न्यायाधिकरण के समक्ष स्वयं कहा था कि आवेदन कि उसने कभी भी एक निगमित कर्मचारी होने का दावा नहीं किया था, लेकिन वह पुर्तगाली नियमों के खंड 430 को देखते हुए 60 वर्ष की आयु तक काम करने का हकदार है। न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी के सेवा अभिलेख की जांच एक निष्कर्ष दिया कि पद के साथ एक भारतीय वेतनमान संलग्न करने का निर्णय लिया गया था और इसलिए, ई. एफ. यू. पुर्तगाली नियमों से उत्पन्न होने वाले लाभों के

संरक्षण का सवाल बिल्कुल भी नहीं उठेगा। यह देखा गया कि पुर्तगाली नियमों से गोवा की मुक्ति के तुरंत बाद, 20.12.1961 उक्त तिथि से कार्यरत सभी कर्मचारियों को समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा शासित किया जा रहा था, जिसमें एक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की नीति शामिल है और इसलिए, अपीलार्थी को चीजों की योजना से अलग नहीं किया जा सकता है क्योंकि अपीलार्थी को नियुक्त किया गया है। एक विशिष्ट वेतनमान के साथ मुक्ति के बाद। न्यायाधिकरण का स्पष्ट और स्पष्ट निष्कर्ष इस प्रकार हैः

"गोवा की स्वतंत्रता के बाद, इस प्रकार नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले भारत सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न नियमों और विनियमों द्वारा शासित किया जा रहा था और इसलिए आवेदक 1 नवंबर 1962 को प्रकाशित उक्त अधिसूचना का कोई लाभ नहीं ले सकता है जिसके आधार पर सेवा विशेषाधिकारों को बचाया गया था। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आवेदक को उकता नियमो के आधार पर नियुक्त नहीं किया गया था। और इस प्रकार वह सेवानिवृत्ति की आयु से संबंधित खंड 430 के लाभों का दावा नहीं कर सकता है। सेवा पुस्तिका में कहीं भी यह खुलासा नहीं किया गया है कि आवेदक को धारा 430 के तहत नियुक्त किया गया था और किसी भी समय आवेदक ने इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई

थी। न्यायाधिकरण ने यह भी माना कि अपीलार्थी के मामले के साथ पेट्रो कैसियानो मेंडेस बनाम भारत संघ, ओ. ए. संख्या 155/93 दिनांक 1.7.1994 में जिसे याचिका के आधार पर खारिज कर दिया गया था। उस आधार पर न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी के दावे को खारिज कर दिया। उक्त आदेश के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका असफल होने के कारण, अपीलार्थी ने विशेष अनुमति द्वारा यह अपील दायर की।

अपीलार्थी द्वारा आग्रह किया गया तर्क यह है कि धारा 5 के तहत गोवा, दमन और दीव प्रशासनिक अधिनियम, 1962 में प्रावधान है कि पुर्तगाली प्रशासन के तहत पिछले सभी पद जारी रहेंगे और इसके धारा 4 में प्रावधान हैं कि गोवा, दमन और दीव या इसके किसी भी हिस्से में नियत दिन से तुरंत पहले लागू सभी कानून तब तक लागू रहेंगे जब तक कि सक्षम प्राधिकारी दवारा या किसी सक्षम विधानमंडल द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता है।हालाँकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि अपीलार्थी को गोवा, दमन और दीव [डाक और तार कानूनों का निरसन] के तहत डाक और तार विभाग में 11.6.1962 पर नियुक्त किया गया था। विनियमन, 1962, जो 1.9.1962 पर लागू हुआ और विभिन्न फरमानों को निरस्त करते हुए ऐसी विधि के अधीन समतुल्य, उपार्जित या उपगत किए गए अधिकारों, विशेषाधिकारों, दायित्वों और देनदारियों को बचाया गया। गोवा की मुक्ति की तारीख, अर्थात 19.12.1961 और 1.9.1962 के बीच

गोवा, दमन और दीव की सैन्य सरकार ने निम्नलिखित प्रभाव के लिए कुछ आदेश पारित किए थेः

"सीटीटी प्रशासन के संबंध में गोवा के पूर्व महासचिव में पहले से निहित निम्नलिखित शक्तियां इसके द्वारा सीटीटी के निदेशक को सौंपी गई हैं और अब से उनका प्रयोग किया जाएगा।

(1) अस्थायी नियुक्तियाँ, कर्मचारियों के लिए पूर्ण शक्तियाँ

दैनिक वेतन के अलावा अन्य नियुक्तियां

अनंतिम नियुक्तियाँ, विस्तार और पुष्टिकरण

जिनकी नियुक्ति तत्कालीन विदेश मंत्री में निहित थी।"

उक्त आदेशों ने सी. टी. टी. के निदेशक को दैनिक मजदूरी, अस्थायी नियुक्तियों, विस्तार और कार्यकाल पर नियुक्ति करने का अधिकार दिया। उन्हें उन कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए शक्तियां प्रदान की गई थीं, जिनकी नियुक्ति पूर्ववर्ती विदेश मंत्री में निहित थी। यह इस आदेश के संदर्भ में है कि अपीलार्थी को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था और यह दिखाने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी कि सी. टी. टी. के निदेशक के पास एक विशेष पैमाने के साथ प्रचालक के पद पर नियुक्ति करने की शक्तियां नहीं थीं।

सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 और 24 पर अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा हमारे समक्ष भारी निर्भरता रखी गई है, जिसका वर्तमान मामले में तय किए जाने वाले प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं है। अपीलार्थी 31.01.1994 से प्रभावी रूप से सेवानिवृत्त हो गया था।

हमारा ध्यान गोवा, दमन और दीव [अवशोषित कर्मचारी] अधिनियम, 1965 की ओर आकर्षित किया गया। लेकिन अपीलार्थी को 20.12.1961 से पहले नियुक्त नहीं किया गया था और इसलिए, उक्त अधिनियम गोवा, दमन और दीव पर लागू नहीं होगा। [अवशोषित कर्मचारी] अधिनियम में, 'अवशोषित कर्मचारी' को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो 20.12.1961 से पहले इस पद पर था और केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव या केंद्र सरकार के किसी भी विभाग के प्रशासन के संबंध में सेवा करना जारी रखा, जबकि 'अवशोषित पद' का अर्थ एक सिविल सेवा या पद है जो 20.12.1961 से ठीक पहले गोवा, दमन और दीव में पूर्व पुर्तगाली प्रशासन के तहत मौजूद था। इसके लिए धारा 3 केंद्र सरकार को भर्ती और अवशोषित कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बनाने का अधिकार देती है। उक्त अधिनियम भी सरकार को कठिनाई को दूर करने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार देता है। तब से अपीलार्थी का मामला यह है कि वह एक निगमित कर्मचारी नहीं है, हमें उक्त अधिनियम के दायरे या गोवा

राज्य बनाम यवेट पेरेरा, [1996] 9 एस. सी. सी. 212 निर्णय के प्रभाव की जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

27.8.1962 पर, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने परिवहन और संचार मंत्रालय को भारतीय संघ के साथ पूर्व-गोवा पी एंड टी प्रणाली के एकीकरण के विषय पर एक ज्ञापन सौंपा -पूर्व-गोवा पी एंड टी कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के मौजूदा नियमों और शर्तों पर जारी रखना। इसमें जारी आदेश द्वारा यह स्पष्ट किया गया था भारत के राष्ट्रपति ने कहा कि पी एंड टी सेवाओं के प्रत्येक विभाग में संवर्ग की संख्या का आकलन लंबित होने तक, गोवा पी एंड टी वी. वी. पर सभी मौजूदा पद यह माना जाएगा कि पी एंड टी विभाग की संबंधित शाखा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मौजूदा नियमों और शर्तों पर प्रणाली का निर्माण किया गया है, जब तक कि किसी विशेष मामले में पद को समाप्त करने या शर्तों को संशोधित करने के लिए निर्दिष्ट आदेश जारी नहीं किए जाते हैं और आगे के आदेश लंबित रहते हैं, तब तक मौजूदा कर्मियों को उचित प्राधिकरण के तहत नियुक्त किया गया माना जाएगा, जब तक कि किसी विशेष मामले में किसी भी व्यक्ति की सेवाओं को उस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वितरित नहीं किया जाता है।

यहां तक कि यह आदेश भी अपीलार्थी की सहायता के लिए नहीं आता है क्योंकि वह गोवा पी एंड टी के पूर्व कर्मचारी से मौजूदा कर्मचारी

नहीं था। अपीलार्थी को गोवा, दमन और दीव की सैन्य सरकार द्वारा एक निश्चित वेतनमान पर अस्थायी आधार पर दिए गए आदेश के अनुसरण में नियुक्त किया गया था और वह नए नियमों के लागू होने से पहले लागू प्रासंगिक नियमों के लाभ के लिए कोई दावा नहीं कर सकता था।

अतः न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है और इसलिए यह याचिका खारिज की जाती है।

एन. जे.

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।